FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला नागौर राजस्थान

अखीलचन्द्र वीर पुत्र सोहनलाल वीर जाति जाट बनाम हरिशचन्द पुत्र राधामोहन जाति बियाणी वगै.
सा. सुजानगढ़ जिला चुरू सा. नावां तह. नावां

किस्म मुकदमां : 212 आरटीए मुकदमां नम्बर 065/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
12.06.2023	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानाराम ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब प्रस्तुत करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम राजास के खसरा नम्बर 291, 292 कुल रकबा 4.08 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.07.2023 को पेश हो। (अंशुल सिंह) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
19/7/23	अधिवक्ता प्रार्थी उप०। अप्रार्थी संख्या 6 का तामील शुदा नोटिस प्राप्त। बकाया की तलबी पुनः पेश करें। मि०दि० 27/9/23 को पेश हो।	
06/9/23	मूल वाद में शीघ्र सुनवाई हेतु प्रा० पत्र पेश होने पर [illegible] दि० 18/9/23 को नियत किया गया है [illegible] पत्रावली वास्ते सुनवाई दि० 18/9/23 को पेश हो।	
18/9/23	पत्रावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलेन्स कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। पत्रावली इल्तवा होकर दिनाँक 22/9/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	
22/9/23	उभयपक्ष उप०। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से Adv. श्री राजेन्द्र कुमार ने जवाब मूल प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल Adv. प्रार्थी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बकाया तलबी दि० 6/10/23 को पेश हो।
6/10/23	उभयपक्ष उप०। Adv. प्रार्थी ने प्रा०पत्र O39R1 CPC तपसिल धारा 151 CPC पेश किया जिसकी नकल Adv. अप्रार्थी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब स० दि० 13/10/23 को पेश हो।
13/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 8/11/23 को पेश हो।
8/11/23	उभयपक्ष उप०। अप्रार्थी संख्या 1, 3 की ओर से प्रा०पत्र अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही अप्रार्थी संख्या 1, 3 की ओर से समझे जाने पेश किया जिसे स्वीकार किया गया। बकाया की तलबी पेश की जो जारी होकर पत्रावली दि० 14/11/23 को पेश हो।
14/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 30/11/23 को पेश हो।
30/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 12/12/23 को पेश हो।
12/12/23	उभयपक्ष उप०। मूल वाद पत्र के साथ पत्रावली दि० 15/12/23 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
14/12/23	उभयपक्ष उप०। पूर्व आदेश की पालना में पत्रावली दि० 22/12/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/12/23	उभयपक्ष उप०। पत्रावली मूल वाद पत्र के साथ दि० 27/12/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27/12/23	उभयपक्ष उप०। साबिका आदेश की पालना में पत्रावली दि० 16/1/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16/1/24	पत्रावली पेश हुई। मूल वाद पत्र का निस्तारण हो चुका है। इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मूल वाद पत्र का निस्तारण हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली कैफियत शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:27 IST
Reason: SelfAttested